न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1760–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–5–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील गोगावॉ प्रकरण कमांक 288/अ–6/14–15

इबादल अली पुत्र अब्बास अली सैय्यद
निवासी मोहल्ला मियामान खरगोन
तहसील व जिला खरगोन ....आवेदक

विरूद्ध

1– हिफाजत अली पुत्र अब्बास अली सैय्यद
2– हियादत अली पुत्र हिफाजत अली
निवासीगण मियामान खरगोन
तहसील व जिला खरगोन
3– अमजद पुत्र शेर खां
निवासी काजीपुरा खरगोन
तहसील व जिला खरगोन ....अनावेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक,
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक एवं
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील गोगावॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 3 अमजद द्वारा द्वारा तहसीलदार, तहसील गोगावॉ के समक्ष ग्राम गोपालपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 114/3

रकबा 0.628 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से किये जाने के आधार पर **नामांतरण** हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण **कमांक** 288/अ–6/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में समक्ष अपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–5–16 को अंतरिम आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1987 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है, इसलिए प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित है, जिसका निराकरण का अधिकार दीवानी न्यायालय को होकंर, राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

(2) वर्ष 1987 में प्रश्नाधीन भूमि की कोई खास कीमत नहीं थी, इस कारण आवेदक एवं उसका भाई अनावेदक कमांक 1 के बीच किसी प्रकार की कोई बदनियती नहीं थी, परन्तु अनावेदक कमांक 1 के वारिस द्वारा यह जानते हुए भी कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के कब्जे में है, बदनियती से प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर दिया गया है, जिसका उसे हक व अधिकार नहीं था ।

(3) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर अपना हक सिद्ध किया गया था, अतः एक बार आवेदक को स्वत्व अर्जित होने पर अनावेदकगण को हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) आवेदक के अस्वस्थ होने एवं चलने–फिरने में पूर्णतः असमर्थ होने का लाभ उठाकर अनावेदक कमांक 2 द्वारा कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयार कर प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया गया है, जो कि अवैधानिक है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की गई है, जबकि आवेदक कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व बतला रहा है, और कब्जे से किसी को भी स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । अतः आवेदक को आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि यदि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व है तो वे स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से करा सकते हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभय पक्ष के मध्य व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि व्यवहार न्यायालय से कोई अस्थायी निषेधाज्ञा अथवा स्थगन पारित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में नामांतरण की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है, आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक वरिष्ठ न्यायालयों से अथवा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाये, तब तक तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील गोगावॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर